न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बड़वानी ।म०प्र०।

प्रकरण क्रमांक ६।अ-२।७५-७६.

शिवप्रसाद पिता दामोदर निवासी सेंधवा

--- प्रार्थी.

विरुद्ध

म०प्र० शासन

--- प्रतिप्रार्थी

:: आ दे श ::

(दिनांक ३०-४-१९७७ को पारित ।

प्रार्थी श्री शिवप्रसाद पिता दामोदर महाजन, अ०पा०क०दामोदर पिता मुन्नालाल महाजन, निवासी सेंधवा द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन पत्र म०प्र० भू०रा० संहिता, १९५९ की धारा १७२के अन्तर्ग अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम सेंधवा की कृषि भूमि खसरा नं० ६४-६५।१३ रकबा १-५० एकड़ भू-राजस्व १-१७ को जिनिंग प्रेसिंग फेक्ट्री एवं आइल मील हेतु कृषि भिन्न आशय में परिवर्तन करने का निवेदन किया । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी ट्रेस मेप, खसरा पांचसाला एवं किश्तबन्दी खतौनी आसामीवार बी-१की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की ।

२- प्रकरण में नियमानुसार जांच कर प्रतिवेदन भिजवाने हेतु मुल प्रकरण अधीक्षक भू-अभिलेख, परिवर्तित भूमि सरगान को भेजा गया ।

३- अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि सरगान के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । अधीक्षक, भू-अभिलेख अभिलेख, परिवर्तित भूमि सरगान ने अपने प्रतिवेदन में बतलाया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी उक्त भूमि खसरा नं०६४-६५।१३रकबा १-५० लगान २-१७ १७ का भूमि स्वामी है अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि सरगान द्वारा म०प्र०भू०रा०संहिता, १९५९ की धारा १७२ के अन्तर्गत निर्मित नियमो के नियम ६(२) के अनुसार - अनुविभागीय अधिकारी, लो०नि०वि० (भवन पथ) सेंधवा, अनुविभागीय उपखंडअधिकारी अधिकारी राष्ट्रीय महामार्ग सेंधवा, एवं नगर पालिका सेंधवा से लोक स्वास्थ विभाग, सेंधवा एवं विद्युत विभाग सेंधवा से अभिमत चाहा गया परन्तु केवल नगर पालिका की ओर से उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी को

२-

व्यपर्तनन किये जाने में कोई आपत्ति नही होना बतलाया है। शेष विभागों की ओर से कोई उत्तर समयावधि में प्राप्त नही हुआ होने से यह मान लिया गया है कि उन्हें व्यपर्तन में कोई आपत्ति नही है। इसी प्रकार जिला संयोजक, आ०जा०क०वि० बड़वानी से भी अभिमत चाहा गया। जिला संयोजक आ०जा०क०वि० ने सूचित किया की प्रार्थी द्वारा चाहे अनुसार कृषि भिन्न आशय में परिवर्तन में उन्हें कोई आपत्ति नही है।

४- प्रकरण में ले-आउट संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन, इन्दौर द्वारा अनुमोदित किया गया। अत: अनुमोदित ले-आउट म०प्र०भू०रा० संहिता १९५९ की धारा १७२ के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम ६ के अनुसार कलेक्टर महोदय खरगौन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करते, कलेक्टर महोदय खरगौन द्वारा ले-आउट स्वीकृत किया गया है।

५- प्रकरण में प्रार्थी को श्रवण किया गया तथा बन्धन नामा तस्दीक किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तावित शर्तों पर व्यपर्तन करना स्वीकार किया है।

६- अत: अधीक्षक, भू-अभिलेख, परिवर्तित भूमि खरगौन के प्रस्तावानुसार प्रार्थी को उसके स्वत्व की कृषि भूमि कस्बा सेंधवा की खसरा नं० ६४-६५।१३ क्षेत्रफल १-५० एकड़ अथवा ६५,३४० वर्ग फुट कृषि भूमि को कृषि भिन्न आशय जिनिंग प्रेसिंग फेक्ट्री तथा आईल मिल हेतु परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है। :-

(१) कस्बा सेंधवा की कृषि भूमि खसरा नं० ६४-६५।१३ क्षेत्रफल १-५० एकड़ अथवा ६५,३४० वर्गफिट पर व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिये स्वीकृत प्रमाणित दर रु००-९० पैसे प्रति १०० वर्गफिट की दर से रुपये ५८८-६० पैसे पुन:निर्धारण प्रतिवर्ष के मान से मध्य प्रदेश भू०राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५९(२) के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५९-२ के अन्तर्गत वर्ष १९७४-७५ से पुन: निर्धारण प्रभावशील किया जाता है। प्रार्थी राजस्व वर्ष ७४-७५ से चालु वर्ष तक के पुन: निर्धारण की राशि एकमुश्त जमा करेगा तथा प्रतिवर्ष नियमित रूप से जमा कराता रहेगा। कृषि लगान रु० १-१७ पैसे कम होगा।

-३ पर

(२) मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता , १९५९ की धारा ५९ के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम १४(१) के अनुसार कस्बा सेंधवा की जनसंख्या के मान से यह ग्राम श्रेणी में आता होने से नियम १४(२) के अनुसार रुपये ५००।- प्रति एकड़ के दर से रुपये ७५०-००प्रीमियम निर्धारित किया जाता है ।यह रकम प्रार्थी आदेश दिनांक से ३० दिवस के भीतर एक-मुश्त जमा करेगा ।

(३) चुंकि प्रार्थी ने भूमि व्यपवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त किये बगैर ही निर्माण कार्य कर लिया है । अत: मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता ,१९५९ की धारा १७२(४) के अन्तर्गत रुपये २००।- अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।

(४) संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामिण नियोजन इन्दौर द्वारा अनुमोदित एवं जिलाध्यक्ष महोदय ,खरगोन द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुसार ही निर्माण कार्य होगा । यदि ले-आउट के अनुसार निर्माण कार्य नही है तो प्रार्थी एक माह में ले-आउट अनुसार निर्माण कार्य कर लेवे ।

(५) बिना पुर्व अनुमति जिनिंग एवं प्रेसिंग फेक्ट्री तथा आईल मील के अतिरिक्त अन्य आशय में परिवर्तित नहीं की जावेगी तथा नही भूमि का हस्तान्तरण किया जावेगा ,और जिस व्यक्ति को हस्तान्तरण किया जावेगा उस व्यक्ति को भी यह शर्तें लागु होंगी ।

(६) जनहित में स्वछन्दता रखी जावेगी तथा जन सुरक्षा एवं जनसाधारण की शान्ती में किसी प्रकार का दखल नही होगा ।

उपरोक्त शर्तों का उलंघन होने पर यह आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकेगा और वेधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

हस्ता:
(बी०के० दास)
अनुविभागीय अधिकारी ,
बड़वानी ।

776100

[illegible] लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने की [illegible]

[illegible] शुल्क जमा न होने के कारण प्रार्थनापत्र

[illegible] जाने की तिथि ....

[illegible] शुल्क जमा की तिथि 31-3-80

[illegible] शब्दों की संख्या 600..........

[illegible] पृष्ठ 2 [illegible] प्रतिलिपि शुल्क [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] के वास्ते [illegible] 18-6-80

[illegible] देने या [illegible] की तिथि 19-6-80

[illegible] [illegible] तिथी. ————

[illegible] कारण [illegible] दुये।

[illegible] [illegible]

[illegible] 19-6-80.

[illegible]

[illegible]

No ———— dated ———— 19

From

To

The

Subject

Sir

GRPI-336-6Lakhs-1-80

XV—OR
109